27.4.10

संख्या- 700 सी0डी0/46-3-10-1000(75)/2009

प्रेषक,

विजय कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉक 27 अप्रैल, 2010

विषयः अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अर्न्तग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) के निमित्त निर्धारित पैटर्न के अनुसार 50 प्रतिशत राजकीय अंश वहन करने के लिये श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु स्वीकृति अनन्तिम परिव्यय/ प्राविधानित धनराशि रू0 18,49,00,000.00 (रूपये अटठारह करोड़ उनचास लाख मात्र) का 50 प्रतिशत जो रू0 9,24,50,000.00 (रूपये नौ करोड़ चौबीस लाख पच्चास हजार मात्र) होता है, को संलग्न विवरण के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त योजनान्तर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों पर होने वाले 50 प्रतिशत का व्यय लाभान्वित संस्थाओं द्वारा वहन किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश बी-1-951/ दस-2010-231/ 2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 तथा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया

जायेगा और स्वीकृत धनराशि के समक्ष कोई व्यय करने से पूर्व उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत सक्षम स्तर के आदेश प्राप्त किये जायेंगे।

4. योजना के अन्तर्गत सड़कों को निर्मित कराने का कार्य अर्न्तग्रामीण सड़क निर्माण योजना द्वारा कराया जायेगा। निर्मित की जाने वाली सड़कों पर राजकीय अंश का प्रथम भुगतान माल आपूर्ति के उपरान्त तथा द्वितीय भुगतान सड़क निर्माण पूरा होने पर तभी किया जायेगा, जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किय गये ऑगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाये।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-879/दस-2007-247/2007, दिनांक 15 मार्च,2007, शासनादेश संख्या-बी-1-2761/दस-2007-247/2007, दिनांक 30-07-2007 तथा संख्या-बी-1-1071/दस-2008-231/2008, दिनांक 20-03-2008 में दिये गये निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/ मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुर्नविनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त विभाग के नवीनतम शासनादेश संख्या बी-1-951/ दस-2010-231/ 2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. योजना के अन्तर्गत सड़कों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व संबंधित गन्ना विकास परिषदों का होगा और इस प्रयोजन पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय-भार वहन नहीं किया जायेगा।

7. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन/महालेखाकार को यथा-समय उपलब्ध कराया जायेगा।

8. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से कोई धनराशि बचती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

9. जनपदवार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की सीमा तक जनपद की जिला योजना में विभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक परिव्यय प्राविधान सुनिश्चित किया जायेगा और यदि स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में जिला योजना के अधीन उभरकर आता है, तो उपलब्ध होने वाले परिव्यय के अनुसार यथासमय स्वीकृतियां संशोधित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी।

10. राजकीय अंश देय सेंटेज चार्जेज केवल 10 प्रतिशत ही अनुमन्य होगा।

11. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-23 के अधीन पूंजी लेखा शीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अर्न्तग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

12. उक्त स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप. सं0- बी-1-951/ दस-2010-231/ 2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

संख्या-- 700 सी0डी0/46-3-10-1000(75)/2009-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित जनपदों के समस्त कोषाधिकारी।
5. संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।
6. सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
7. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1

आज्ञा से,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-700 सी0डी0/46-3-10-1000(75)/2009 दिनॉक 27 अप्रैल,2010 का संलग्नक।

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2010-11 में सामान्य मद की 50 % धनराशि (लाख रूपये)
1	2	3
1	सहारनपुर	30.00
2	मुज़फ्फरनगर	83.00
	मण्डल योग :-	**113.00**
3	मेरठ	105.00
4	बागपत	62.50
5	गाजियाबाद	25.00
6	बुलन्दशहर	12.50
	मण्डल योग :-	**205.00**
7	बिजनौर	152.50
8	जे0पी0नगर	35.00
9	मुरादाबाद	38.25
10	रामपुर	14.50
	मण्डल योग :-	**240.25**
11	बरेली	30.00
12	बदायूँ	10.00
13	पीलीभीत	52.50
14	शाहजहाँपुर	27.50
	मण्डल योग :-	**120.00**
15	लखीमपुर-खीरी	121.00
16	सीतापुर	62.50
17	हरदोई	17.75
	मण्डल योग :-	**201.25**
18	फैजाबाद	5.00
	मण्डल योग :-	5.00
19	गोण्डा	5.00
20	बलरामपुर	20.00
21	बहराइच	10.00
	मण्डल योग :-	35.00
22	बस्ती	5.00
	मण्डल योग :-	5.00
	महायोग :-	924.50

(रू0 नौ सौ चौबीस लाख पचास हजार मात्र)

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।